[श्री सुनिल कुमार महतो]

में काम के बदले खाद्यान्न योजना एवं 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना को चलाया जाये, जिससे लोग अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

(सोलह) केरल के कालीकट मेडिकल कॉलेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समकक्ष लाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : कालीकट मेडिकल कॉलेज 250 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है तथा वहां पर्याप्त जगह खाली है जिसे और आगे विस्तार के लिए आसानी से विकसित किया जा सकता है। इस कॉलेज में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं केरल के किसी भी अन्य संस्थान से बेहतर हैं। यह संस्थान उत्तरी केरल के छह जिलों को सुविधा प्रदान करता है जिसमें राज्य की लगभग 30% जनता निवास करती है। वर्ष 2003 में यहां पर 1.6 लाख अंतरंग रोगियों तथा 5.25 लाख बाह्य रोगियों का इलाज किया गया। प्रतिवर्ष लगभग 2600 रोगियों को औषधि विभाग में भर्ती किया जाता है। अत:, मेडिकल कॉलेज, कालीकट का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर अखिल भरतीय महत्व के संस्थान के स्तर पर उन्नयन करने हेतु वह सभी अपेक्षाएं पूरी करता है। सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में छह चिकित्सा संस्थान खोलने की घोषणा की है। कालीकट मेडिकल कॉलेज त्रिवेन्द्रम मेडिकल कॉलेज जो कि सुदूर दक्षिण में स्थित है, की तुलना में केन्द्र में स्थित है, तथा वहां अवसंरचना भी कहीं बेहतर है। त्रिवेन्द्रम में श्री चित्रा इंस्टिट्यूट, रीजनल कैंसर, सेंटर रीजनल इंस्टिट्यूट, रीजनल कैंसर सेंटर, रीजनल इंस्टिट्यूट आफ औपथेलमोलौजी आदि जैसे पहले से ही कई चिकित्सा संस्थान हैं। इस समय, उत्तरी केरल के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए त्रिवेन्द्रम जाना पड़ता है। कालीकट मेडिकल कॉलेज की अवसंरचना का प्रयोग करना लागत की दृष्टि से भी किफायती होगा बजाय इसके कि दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय महत्व का एक नया संस्थान स्थापित किया जाए। इसलिए मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि वह कालीकट मेडिकल कॉलेज का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर पर उन्नयन करे।

अपराह्न 12.03 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 6–राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री बोलें।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद देने वाले सदस्यों के साथ सरकार की ओर से अपने आप को संबंद्ध करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा इसकी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में व्यक्त वास्तविक चिंताओं पर भी ध्यान देगी। प्रशासन में सुधार करने और जनता की समस्याओं को हल करने हेतु दिए गए बहुमूल्य सुझावों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन सुझावों की बहुत कद्र करता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि सरकार इन चिंताओं पर यथासंभव ध्यान देगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का एक महत्वपूर्ण नीतिगत वक्तव्य होता है जिसे वह प्रतिवर्ष शुरू में इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस वक्तव्य में सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जाता है। यह न तो हमारी प्रत्येक चिंता का व्यापक ब्यौरा होता है और न ही प्रत्येक मुद्दे पर कोई वक्तव्य होता है। तथापि, यह सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का एक व्यापक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भारत पुन: प्रगति कर रहा है। इससे पहले हमारे यहां कभी भी इतनी समृद्धि नहीं थी। मैं, आपको इस बात से पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह प्रगति केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए न होकर सभी के लिए है। यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिज्ञा है कि विकास प्रक्रिया

में सभी शामिल हों सभी की समुचित देखरेख हो और न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम हो जिससे कि हमारे समाज के सभी वर्गों में एक नई भावना पैदा हो...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करने सर्वसाधारण के लिए भारत उदय के वचन के साथ सत्ता में आई थी। हमने जो भी विकासोन्मुखी और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किए हैं उनमें एकमात्र इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। चाहे वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम, भारत निर्माण में सम्मिलित ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पेयजल, सिंचाई, बिजली, आवास और दूरसंचार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मिशन हो या अवसंरचनागत विकास विनिर्माण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में विकास हेतु हमारे द्वारा की गई पहल हो—हमने जो भी पहल की हैं वह यह सुनिश्चित करने की दिशा में की हैं कि जब विकास हो तो उसका लाभ सबको समान और न्यायपूर्ण रूप से मिले।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के मूल में यही बातें थीं। यदि विपक्ष में बैठे कुछ माननीय सदस्यों को इस बात की प्रशंसा करने में कठिनाई होती है तो मैं उन्हें इसका दोष नहीं दूंगा। अपने कार्यकाल के दौरान वे विकास और सुशासन का ऐसा व्यापक लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। उनका ध्यान सामाजिक तौर पर विघटनकारी, गैर-विकासकारी और उन कार्यों पर केन्द्रित रहा है जिन्होंने देश की वृद्धि दर को बढ़ने नहीं दिया और देश को पीछे की ओर धकेल दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भी वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं है। हर बार प्रधानमंत्री के प्राधिकार के बारे में प्रश्न उठाया जाता है जैसे हम किसी एक दलीय शासन व्यवस्था या किसी फासीवादी राज्य में रह रहे हों जहां आज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सत्ता का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना आवश्यक होता है। यह उन लोगों की संस्कृति या दृष्टिकोण हो सकता है जो प्राधिकार के इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। महोदय, भारत एक गौरवशाली लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र एक संसदीय लोकतंत्र है। यहां एक संसद है। यहां एक मंत्रिपरिषद है और एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अन्य संस्थाएं हैं। यहां राजनैतिक दल हैं। प्रधानमंत्री शासन-व्यवस्था के निर्धारित नियमों और एक ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। संभवत: जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है वे इस ढांचे से अवगत नहीं हैं। संभवत: वे ऐसा सोचते हैं कि अन्य दल भी उनके दलों की भांति ही कार्य करते हैं, जिसमें एक चुनी हुई सरकार के कार्यकलापों में ऐसे संगठनों को हस्तक्षेप करने दिया जाता है जिनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी की यह संस्कृति नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, ताकत और कमजोरी का यह मुद्दा लोगों का ध्यान उन वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए उठाया जाता है, जो वास्तव में उनसे संबंधित हैं। इस सरकार ने 8 प्रतिशत विकास दर हासिल की है। हमने 29 प्रतिशत बचत दर जो हमारे इतिहास में सर्वाधिक है और 31 प्रतिशत निवेश दर प्राप्त की हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। हमारे देश में इस वर्ष विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। यदि हम आने वाले कुछ वर्षों तक इसे बनाए रखने में सफल रहे तो गरीबी, अज्ञानता और बीमारियां, जिनसे लाखों लोग प्रभावित हैं, को समाप्त किया जा सकेगा। इस सरकार ने अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों, किसानों और कामगारों, बेरोजगारों तथा गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। इस सरकार ने निवेश को काफी प्रोत्साहन दिया है और रोजगार सृजित किए हैं। इस सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विश्व समुदाय में भारत का सर ऊंचा रहे। इस सरकार ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा रही प्रगति को ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में अभिव्यक्त किया गया है। मुझे अपने इस उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन से ही शक्ति प्राप्त होती है। मेरा कार्य ही मुझे बल देता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से उन माननीय सदस्यों के साथ हूं जिन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त किया है। महोदय, कई सदस्यों ने हमारे द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, के समुचित कार्यान्वयन के महत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कार्यान्वयन के महत्व पर जोर देने के लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन पर पूरा ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में लक्षित लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिले। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुएँ और सभी नागरिकों तथा समाज के अन्य निकायों को सशक्त बनाने की दृष्टि से ही हमने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। मैं आशा करता हूं कि इस शक्ति का उपयोग बुनियादी स्तर पर बेहतर शासन-व्यवस्था को सुनिश्चित करने की सही भावना से किया जाएगा। हम इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी करेंगे और प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

[डा. मनमोहन सिंह]

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा उठाया है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सबसे कम विकसित और पिछड़े जिलों पर ध्यान दिया जाए और वहां उनकी आवश्यकतानुसार निवेश किया जाए। मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अगले वर्ष कार्यशील होने वाले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत हमारे द्वारा आरंभ किए गए अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं में अधिक पिछड़े क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि वे थोड़े समय में ही अपने से बेहतर पड़ोसी क्षेत्रों के समकक्ष आ सकें। श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने उल्लेख किया है कि सम विकास योजना में जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सम-विकास योजना को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत लाया जा रहा है जिसे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा...*(व्यवधान)*

महोदय, समान रूप से विकास होना और समाज के सभी वर्गों को इस विकास का लाभ मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने वाला विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त सरकारी पदों को भरा जाना, महिला अधिकारों के लिए बहुत से वैधानिक उपाय उपलब्ध कराना—यह सभी कदम अपेक्षित और कमजोर वर्गों के सभी व्यक्तियों का सशक्तिकरण करने की दिशा में प्रयास हैं।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों, श्री बसुदेव आचार्य और अन्य, ने देश के विभिन्न भागों में किसानों के सम्मुख आ रही कठिनाइयों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिनका परिणाम आगे आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। जबकि कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में वृद्धि हुई है वहीं मैं इस बात को मानता हूं कि किसानों को विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण मिलने में आ रही कठिनाइयां अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। हमारे सामने ऋण का भारी बोझ और ऋण के अधिकांश भाग के लिए साहूकारों पर निर्भरता, ये दोनों बड़ी समस्याएं है। मेरा यह मानना है कि अपने वर्तमान स्वरूप में विद्यमान संस्थागत प्रबंध किसानों की समस्याओं का पूर्णतया निराकरण करने में असमर्थ हैं। हम इस कठिन समस्या का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों को निम्न ब्याज दर पर सरलतापूर्वक ऋण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इस मामले पर प्रकाश डालेंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह ने उर्वरकों पर राजसहायता को सीधे ही किसानों को देने का मुद्दा उठाया है। यह विचार ध्यान देने योग्य है। मैंने कृषि मंत्री जी से सीमांत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पैकेज तैयार करने को कहा है।

कई माननीय सदस्यों ने बढ़ते मूल्यों पर चिंता व्यक्त की है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मूल्यों की स्थिति की निकटता से निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हम विश्व में तेल के बढ़ते मूल्यों के दबाव के बावजूद भी मूल्यों को नियंत्रित कर पाए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य निर्धारित करते समय हम उपभोक्ताओं की आवश्यकता, ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सुसंगत नीति को जारी रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आववस्त कर दूं कि गेहूं आयात करने का निर्णय एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में और बफर स्टॉक की न्यूनतम मात्रा बनाए रखने के लिए लिया गया था। इस निर्णय से किसानों को हानि पहुंचाए बिना उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए इसके लिए हमें रा.ज.ग. से सबक सीखने की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य ने यह सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सावभौमिकरण कर दिया जाना चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि संसाधनों और प्रशासनिक बाध्यताओं का सामना कर रही किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश के गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। गरीब वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमीकरण की संभावना की जांच कर पायेंगे। जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, उसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन योजना तथा आईसीडीएस कार्यक्रमों का सार्वभौमिकरण और अत्योदय कार्डों की संख्या में वृद्धि करके प्राप्त किया जा रहा है। गत दो वर्षों के दौरान 1.8 लाख अतिरिक्त आईसीडीएस केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है, 12 करोड़ बच्चों का मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा है और एक करोड़ अतिरिक्त अंत्योदय कार्ड जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह टिप्पणी की है कि भारत निर्माण वर्तमान योजनाओं का ही नये रूप में प्रस्तुतीकरण है। महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं मैं उन माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त

करें। इससे पहले ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु कभी भी ऐसी संगठित और योजनाबद्ध पहल नहीं की गई। भारत निर्माण एक सरकारी पहल है जिसके लिए राष्ट्रपति जी के पी.यू.आर.ए. के दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण की गई है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि भारत निर्माण के माध्यम से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल पाएंगे।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हेतु शहरों के चयन के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। मैं माननीय सदस्यगणों को आश्वास्त कर दूं कि शहरों के चयन के लिए युक्तिसंगत मानदंड अपनाएं गए हैं। ये शहर तीन श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं—जिन शहरों की जनसंख्या 40 लाख से अधिक है, जिनकी जनसंख्या 10 से 40 लाख के बीच है और कुछ चयनित शहर राज्यों की राजधानियां है तथा कुछ शहरों का चयन उनके ऐतिहासिक महत्व या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होने के नाते किया गया है। राज्य अंतिम श्रेणी के शहरों को अपनी वरियता के अनुसार बदल सकते है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारी सरकार द्वारा देश की अवसंरचना में सुधार हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का विस्तार से विवरण दिया गया है। इस प्रयास के कारण ही गत दो वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। निवेश की दर अब तक की सर्वाधिक, सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत रही है। अलग-अलग क्षेत्रों के आंकड़े उन क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाते हैं। सड़कें, रेल, विमानपत्तन और विमान सेवाएं, पत्तन और पोत परिवहन, दूरसंचार—प्रत्येक क्षेत्र जारेशोर से विकास के पथ पर अग्रसर है। मुझे विश्वास है कि, इस सबसे आय और रोजगार में वृद्धि को और अधिक बढ़ावा मिलेगा ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इस अवसर पर सभा का ध्यान गत दो वर्षों में मेरे साथी श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय रेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने सर्वोत्कृष्ट संचालन प्रबन्ध के माध्यम से इसके वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाते हुए वर्तमान संसाधनों (रोलिंग स्टॉक) में ही इसमें 100 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। वे अपने बजट भाषण में सभा को इन तथ्यों से अवगत करायेंगे। उनके योग्य नेतृत्व में भारतीय रेल ने प्रगति, आधुनिकीकरण और विकास के युग में प्रवेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने खुदरा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में आवाज उठाई है। मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस मामले में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठायेंगे। अभी तक केवल ''सिंगल ब्रांड'' के माध्यम से ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। यह एक बहुत छोटी सी श्रेणी है जो कि विशेष विक्रय अधिकार (फ्रैन्चाइजी) के माध्यम से देश में है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक बड़ा मुद्दा है। हम आजीविका पर इसके प्रभाव सहित इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे और कोई निर्णय लेने से पूर्व विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बारे में कोई जल्दी नहीं है...*(व्यवधान)*

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बिहार विधानसभा को भंग करने तथा तदुपरांत इस संबंध में सम्मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का मुद्दा उठाया है। राज्यपाल की भूमिका पर भी टिप्पणियां की गई हैं। मैं उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम सम्मानीय उच्चतम न्यायालय की प्रज्ञा और निर्णय का सम्मान करते। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा भंग करने को असंवैधनिक ठहराने के निर्णय पर न्यायालय में सर्वसम्मति नहीं थी। तीन न्यायधीशों का मत इससे भिन्न था। इससे स्पष्ट है कि यह एक जटिल मामला था इसमें ईमानदारी से मत-वैभिन्य की स्थिति हो सकती थी। इसी प्रकार राज्यपाल और केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय की समीक्षा करते हुए इस विचार को ध्यान में रखते हुए ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

सम्मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्णय के पश्चात् अपनी इच्छा से राज्यपाल ने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् बिहार विधानसभा के चुनाव और एक स्थायी सरकार के गठन के पश्चात् यह चर्चा व्यर्थ हो जाती है।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे समग्र प्रयासों का परिणाम अधिकारिक रोजगारों का सृजन और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है। एन.आर.ई.जी.ए. स्वयं इस संबंध में एक प्रमुख प्रयास है। इसके साथ ही अवसरंचनात्मक विकास और उद्योग में किए जा रहे भारी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। हमारी सरकार सभी कार्यरत लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है — केवल संगठित मजदूर संघों के सदस्यों के प्रति ही नहीं बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के लोगों के प्रति भी कुछ सदस्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रति अधिक चिन्तित हो सकते हैं परन्तु सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है...*(व्यवधान)*

[डा. मनमोहन सिंह]

मैं एक बार फिर लोगों को आवश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान महिलाओं की स्थिति के प्रति व्यक्त की गयी चिन्ता का मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार मादा भ्रूण हत्या की निन्दा करती है। हम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण के प्रति कटिबद्ध हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का मुद्दा उठाया है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में इस संबंध में हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया गया है। यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे लोकतंत्र के सिद्धान्तों और जीवन के ढंग के अनुरूप नहीं है तथा इससे भली-भाति निपटा जाना चाहिए। आतंकवाद को कोई प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए और इससे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ हम चुनाव प्रणाली के अनुसार और उससे भी देश के सभी भागों में विभिन्न समूहों से वार्ता करने को तैयार हैं यदि वे हिंसा छोड़कर मुद्दों के शान्तिपूर्ण हल के इच्छुक हों। हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में ऐसे शान्तिपूर्ण संकल्पों के लिए पर्याप्त स्थान है। इसके परिणाम जम्मू-कश्मीर में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां न केवल हिसा थमी है बल्कि लोगों की आंखों में आशा की एक किरण अर्थात् शान्तिपूर्ण और समृद्धिशाली भविष्य की आशा जगी है। जम्मू-कश्मीर में विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और हम आने वाले वर्षों में राज्य में अतिरिक्त विद्युत शक्ति, से सम्पन्न शक्तिशाली तथा सबल अर्थव्यवस्था देखेंगे ...*(व्यवधान)*

नक्सलवाद के संबंध में भी हम हिंसा से कड़ाई से निपटने तथा गरीबी, भूमि के अभाव और अधिकारों की वंचना से उत्पन्न असंतोष के कारणों को हल करने के प्रति कृतसंकल्प हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए श्री कोन्यक, श्री बैसीमुथियारी और अन्य सदस्यों द्वारा क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों को उठाए जाने का संबंध है, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आपार संभावनाएं हैं परन्तु उन्हें मूर्त रूप अभी दिया जाना है। हम इस क्षेत्र के अवसरंचनात्मक ढांचे के विकास में निवेश कर रहे हैं। असम और त्रिपुरा में क्षेत्र के पहले कोयला आधारित ताप-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। मणिपुर को रेलवे से जोड़ने को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर के लिए एक विशिष्ट सड़क कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इसे शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी; बेहतर अवसरंचनात्मक विकास और सम्पर्कता से क्षेत्र का औद्योगिकीकरण होगा जिसके परिणाम-स्वरूप अधिक रोजगार के अवसर और तीव्र विकास होगा...*(व्यवधान)*

श्री ओवेसी, डा. सफीकुर्रहमान और अन्य सदस्यों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। मैं पुन: अल्पयंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सृजन यह सुनिश्चित करता है कि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। उनके विकास के बारे में तर्कसम्मत उपाय किए जाने या चर्चा के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के संबंध में हमें विश्वसनीय, और सही तथ्यों की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति सच्चर समिति यही करने जा रही थी। समिति अपना कार्य पूरा कर लेगी तो सभा में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से शैक्षिक क्षेत्र भी प्रक्रिया जोकि विकास कार्यक्रमों की लक्ष्य प्राप्ति का एक बेहतर विकल्प साबित होती, को गलत दिशा दी जा रही है।

मैं इस सभा के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सेना एक गैर-राजनीतिक, धर्म-निरपेक्ष व्यवसायिक और योग्यता आधारित संगठन बना रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से अधिकारिता और तुष्टीकरण में अन्तर करने का आग्रह करूंगा। किसी अन्य लोकतांत्रिक सरकार की तरह हमारी सरकार भी सभी को अधिकारिता प्रदान करने तथा किसी का भी तुष्टीकरण न करने के प्रति कटिबद्ध है।

जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संबंध है हम उसका अल्पसंख्यक का दर्जा बनाये रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विदेश में किसी पत्रिका के विशिष्ठ अंक में प्रकाशित निंदनीय कार्टूनों के प्रति सभा में व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। विश्वभर मे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले कार्टूनों के प्रकाशन से उत्पन्न विवाद के प्रति हमारी सरकार चिन्तित है। जब पहली बार ये अपमानजनक कार्टून प्रकाशित हुए थे तो हमने अपना दुख प्रकट करने के लिए अक्तूबर 2005 में ही नई दिल्ली में तथा अपने राजदूत के माध्यम से कोपेनहेगन में डेनमार्क सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया था। लोगों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने पर अपना दुख व्यक्त करते हुए हमने संबंधित समाचार पत्र से माफी मांगने का आग्रह किया था और डेनमार्क सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

हम किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सभी कृत्यों की निन्दा करते हैं और हमारा विचार है कि ऐसी

घटनाओं से गंभीरता व सख्ती से निपटा जाये। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके अधिकारों और विश्वास की रक्षा करने के प्रति कटिबद्ध हैं ताकि हमारे समाज का धर्मनिरपेक्ष ढांचा सुरक्षित और सुदृढ़ हो सके...*(व्यवधान)*

भारत का धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता अक्षुण्ण है और यहां किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य अस्वीकार्य हैं। मैं सभी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से संयम बनाये रखने तथा जनता की भावनाओं को न भड़काने का आग्रह करता हूं। हमें अपने विचारों को तर्कसंगत ढंग से रखने को अपनी लोकतांत्रिक विरासत के गौरव को बनाये रखना होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विदेश नीति की दिशा पर भी इस सभा की चर्चा में काफी टिप्पणियां की गई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान इन बहुत सु मुद्दों पर विस्तार से बोलने के मुझे कई अवसर मिले हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस तथ्य को स्वीकार करें कि विदेश नीति की दिशा के संबंध में हमने सर्वसम्मति बनायी है और इससे हमें विश्व के साथ अपने संबंध बनाने और जारी रखने में सहायता मिली है। मैं सभी राजनैतिक दलों से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि वे इस परंपरा का आदर करें, जिससे कि विश्व के साथ संबंध स्थापित करने में सरकार के हाथ सुदृढ़ हों...*(व्यवधान)*

महोदय, हाल ही में जब मैं जवाहर लाल नेहरू भवन की आधारशिला रखने गया था तो विदेश नीति के संबंध में मेरा दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट हुआ। भारत को लेकर पंडित जी का दृष्टिकोण हमारी सभ्यता की विरासत से गहरे जुड़ा है। हमारी सभ्यता में विश्व के लिए संदेश है जो हमारी विदेश नीति से परिलक्षित होता है। यह संदेश है विविधता में एकता का, सबको अपने में समहित करने का और धर्मनिरपेक्षता का...*(व्यवधान)*

महोदय, हमने विश्व में परस्पर निर्भरता के बढ़ते दौर में अपनी स्वतंत्र नीति बनाने की आजादी हासिल करने हेतु कड़ा परिश्रम किया है। हमें निश्चित रूप से शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल करने हेतु समय-समय पर नए-नए मार्ग अपनाने होंगे। वे सर्वदा बदलते रहने वाले वैश्विक परिवेश के अनुरूप होंगे। यह हो सकता है कि हमारी नीति के निर्धारक तत्व और जो तरीके और रणनीति हम अपनाएंगे वे समय के साथ-साथ बदलते रहें परन्तु इनमें अंतर्निहित मूल्य सार्वभौमिक हैं और वे सदा सत्य बने रहेंगे।

महोदय, मैं इस सभा को गंभीरतापूर्वक यह आश्वासन देता हूं कि हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार सदा राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि मानेगी। मुझे भी विश्वास है कि हमें भारत के लोगों का भरोसा और विश्वास प्राप्त है।

महोदय, आज पूरा विश्व भारत को महान् आदर और सम्मान के साथ देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के लोगों ने विश्व को यह दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। हमारी सभ्यता की विरासत, हमारी विविधता, हमारी सबको समाहित करने की शक्ति और सहनशीलता कई देशों के लिए ईर्ष्या का कारण है। आज की दुनिया में किसी भी भारतीय को स्वयं को कमतर समझने या असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का कद ऊंचा हुआ है और एक खुले समाज और एक खुली अर्थव्यवस्था पर हमें गर्व है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण हमारे लोगों के आत्मविश्वास की इस भावना को जानकर प्रसन्न होंगे... *(व्यवधान)*

राष्ट्रीय गौरव की इस भावना को उस समय और अधिक बल मिला जब सऊदी अरब के महामहिम सुलतान और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान हमारी सभ्यता की विरासत और हमारी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के प्रति अपना आदर प्रकट किया। यह हमारे आत्म-विश्वास की यही भावना है कि हम संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस चर्चा के दौरान दिए गए सभी सुझावों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारी सरकार संसद द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के प्रति सजग रहे। जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं...*(व्यवधान)*

मैं यह चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में सदस्यों द्वारा अनेक सुझावों का प्रस्ताव किया गया है। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन के मतदान हेतु एक साथ प्रस्तुत करूं या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को मतदान हेतु अलग से रखना चाहेंगे?

(व्यवधान)